DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART -II

(General information relating to Legislative & other matteers)

Thursday, 26 August,1999/Bhadrapad 04,1921(Saka)

NO.48

SUB: Provision regarding payment of pension to Ex- MLAs.

Kind attention of all the MLAs is invited to Section 9 of the Members of Legislative Assembly of the NCT of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, etc.,) Act, 1994 with regard to payment of pension which provides as under :-

"9. Pension-(1) There shall be paid a pension of rupees three hundred per mensem to a Member on completion of four years continuously or in parts, out of the term of five years:

Provided that where any person has served as a Member aforesaid for a period exceeding five years, there shall be paid to him an additional pension of seventy five rupees per mensem for every completed year in excess of rupees three hundred subject to a maximum of seven hundred and fifty rupees per mensem.

(2) Where any ex-Member entitled to pension under sub-section (1) -

(i) is appointed to the office of the President or Vice President of India or is appointed to the Office of the Governor of any State or the Lt.Governor or Administrator of any Union Territory;

(ii) becomes a Member of the Council of States or the House of the people or of any Legislative Assembly of a State or Union Territory or any Legislative Council of a State; or

(iii) is employed on a salary under the Central Government, or any Corporation owned by or controlled by the Central Govt.or any State Govt. or any local authority or becomes otherwise entitled to any remuneration from such Government, Corporation or local authorities, as the case may be shall not be entitled to any pension under sub-clause (1) for the period during which he continues to hold such office or as such Member or is employed, or continues to be entitled to such remuneration :

Provided that where the salary payable to such ex-Member for holding such office or being such Member or so employed or where the remuneration referred to in clause (iii) payable to such ex Member is, in either case, less than a pension payable to him under sub-section (1) such ex-Member shall be entitled only to receive the balance as pension under that sub-section.

Contd....2

(3) Where any ex-Member entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to any pension from the Central Government or any State Government or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government, or any local authority under any law or otherwise, then-

(a) where the amount of pension to which he is entitled under such law or otherwise is equal to or in excess of that to which he is entitled under sub-section (1), such ex-Member shall not be entitled to any pension under that sub-section; and

(b) where the amount of pension to which he is entitled under such law or otherwise, is less than that to which he is entitled under sub-section (1) such ex-Member shall be entitled to pension under that sub-section only of an amount which falls short of the amount of pension to which he is otherwise entitled under that sub-section:

Provided that any pension (whether known as Swatantrata Sainik Samman Pension or by any other name received by such ex-Member as a freedom fighter shall not be taken into account for the purposes of this sub section and he shall be entitled to receive such pension in addition to the pension to which he is entitled under sub-section (1).

Identical statutory provisions existed in the Members of Metropolitan Council (Salaries, Allowances and Pension) Order 1966 issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs.

The above statutory provisions are being brought to the kind notice of MLAs with the request that they may kindly keep the same in view while claiming pension either as ex-MMC or as an ex-MLA at the relevant point of time.

S.K.SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग - ।।

§ विधायी एवं अन्य मामलों से संबंधित सामान्य सूचना §

वृहस्पतिवार, 26 अगस्त, 1999/भाद्रपद 04, 1921§शक§

संख्या· 48

विषय : भूतपूर्व विधायकों को पेंशन के भुगतान के संबंध में प्रावधान·

पेंशन के भुगतान के संबंध में सभी विधायकों का ध्यान राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली विधान सभा के सदस्य §वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि §अधिनियम, 1994 की धारा-9 की ओर दिलाया जाता है, जो निम्नलिखित है :-

"9· पेंशन -§1§ पांच वर्ष की अवधि में, लगातार या हिस्सों में चार वर्ष पूरे हो जाने पर, सदस्य को प्रतिमाह रू0:300/- §तीन सौ रुपये§ पेंशन दी जायेगी :

बशर्ते कि जहाँ किसी व्यक्ति ने 5 वर्ष से अधिक अवधि तक उपरोक्त सदस्य के रूप में काम किया हो वहाँ उसे प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए प्रतिमाह तीन सौ रुपये के अलावा रू0:75/- अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी । यह अतिरिक्त राशि प्रतिमाह अधिकतम रू0:750/- तक हो सकती है ।

§2§ जहाँ उपधारा §।§ के अंतर्गत पेंशन के हकदार किसी भूतपूर्व सदस्य को

§।§ भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाता है या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल अथवा प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाता है :

या §।।§ राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, की विधान सभा या राज्य की किसी विधान परिषद् का सदस्य बन जाता है :

या §।।।§ केन्द्र सरकार में या किसी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित या नियंत्रित किसी निगम में वेतन पर नियोजित है या ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकरण से कोई पारिश्रमिक लेने का अन्यथा हकदार बन जाता है वहां वह उस अवधि के लिए जिसके दौरान वह ऐसे पद या ऐसे सदस्य के रूप में रहा है या नियोजित या ऐसे पारिश्रमिक के लिए हकदार रहा है, उपधारा §।§ के अंतर्गत किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा ।

बशर्ते कि जहाँ ऐसे पद पर रहने के लिए ऐसे भूतपूर्व सदस्य को या जो ऐसा सदस्य रहा हो या जो इस प्रकार नियोजित हो को देय वेतन, या जहां ऐसे भूतपूर्व सदस्य को देय, खंड §3§ में विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक, किसी भी मामले में उपधारा §।§ के अंतर्गत उसे देय पेंशन से कम हो, वहाँ ऐसा भूतपूर्व सदस्य उस उपधारा के अंतर्गत पेंशन के रूप में शेष राशि प्राप्त करने का हकदार होगा ।

··2·

(3) जहां उपधारा (1) के अंतर्गत पेंशन लेने का हकदार कोई भूतपूर्व सदस्य केन्द्र सरकार या किसी विधि या अन्यथा के अंतर्गत केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार, या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाये जाने वाले या नियंत्रित किसी निगम से भी कोई पेंशन लेने का हकदार है, वहाँ :

(क) जहां पेंशन की वह राशि जिसके लिए वह ऐसी विधि या अन्यथा के अंतर्गत हकदार है, उस राशि के बराबर या उससे अधिक है, जिसके लिए वह उपधारा (1) के अंतर्गत हकदार है, वहां ऐसा भूतपूर्व सदस्य उस उपधारा के अंतर्गत किसी पेंशन का हकदार नहीं होगा ।

(ख) जहां पेंशन की वह राशि, जिसके लिए वह ऐसी विधि या अन्यथा के अंतर्गत हकदार है, उस राशि से कम है जिसके लिए वह उपधारा (1) के अंतर्गत हकदार है, वहां ऐसा भूतपूर्व सदस्य उस उपधारा के अंतर्गत पेंशन के लिए केवल उतनी ही राशि के लिए हकदार होगा जो पेंशन की उस राशि से कम हो जिसके लिए वह उस उपधारा के अंतर्गत अन्यथा हकदार हो :

बशर्ते कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ऐसे भूतपूर्व सदस्य द्वारा ली गई कोई पेंशन (चाहे वह स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के नाम से जानी जाती हो या किसी अन्य नाम से) इस उपधारा के लिए नहीं गिनी जायेगी और वह उस पेंशन के अतिरिक्त ऐसी पेंशन लेने का भी हकदार होगा जिसके लिए वह उपधारा (1) के अंतर्गत हकदार है ।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी महानगर परिषद् के सदस्यों (वेतन, भत्ते और पेंशन) के आदेश 1966 में निहित समरूप सांविधिक प्रावधान ।

उपर्युक्त प्रावधानों को सभी विधायकों की जानकारी में इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि वे भूतपूर्व महानगर परिषद् के सदस्य के रूप में अथवा भूतपूर्व विधायक की हैसियत से जब भी पेंशन के लिए दावा करें तो इन प्रावधानों को अपने ध्यान में रखें ।

एस॰के॰ शर्मा
सचिव